

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-०) विभाग


क्रमांक प. 1(3)राज-०/2011/पार्ट /1००

जयपुर, दिनांक 17.9.19

अधिसूचना


रेल विभाग के लिए मथुरा-झांसी के मध्य तृतीय रेल लाईन परियोजना हेतु जिले की धौलपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्राम घेड़ की आराजी खसरा नम्बर 512/379, 514/380 रकबा 28 बिस्वा निजी खातेदारी की भूमि को आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर जिला धौलपुर को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रशासक नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कमलेश चोडुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा० राजस्व मंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. जिला कलक्टर, धौलपुर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.19 में प्रकाशन हेतु।
6. निदेशक, जनसम्पर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
7. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
8. उपखण्ड अधिकारी, तहसील धौलपुर, जिला धौलपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner